आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, छत्तरपुर (पलामू)।

आदेश

विविध वाद संख्या– 30/2018–19

धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता

लेयाकत हुसैन .... प्रथम पक्ष

बनाम

दशरथ प्रसाद गुप्ता ....द्वितीय पक्ष

P No-39 5-12-18

P.N. 39/05.12.18

20.11.2018

यह प्रक्रिया आवेदक लेयाकत हुसैन पिता– स्व0 रोजन मियाँ, ग्राम– खाटीन, थाना– छत्तरपुर, जिला– पलामू ने दशरथ प्रसाद गुप्ता पिता– तुलसी साव, ग्राम– सहरसवा, पो0– मुनकेरी, थाना– छत्तरपुर, जिला– पलामू के विरूद्ध धारा 144 दं0 प्र0 सं0 अंतर्गत कार्रवाई हेतु आवेदन पत्र दाखिल किया था जिसे इस कार्यालय के ज्ञापांक 857 दिनांक 05.09.2018 के द्वारा थाना प्रभारी, छत्तरपुर से जाँच प्रतिवेदन कि मांग की गई। थाना प्रभारी, छत्तरपुर ने डी0 आर0 नं0– 906/18 दिनांक 17.09.2018 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किये हैं। जाँच प्रतिवेदन में विवाद को देखते हुए एवं शांति– व्यवस्था बनाये रखने हेतु धारा 144 दं0प्र0सं0 लगाने की अनुशंसा किया गया है। विवादी भूमि का विवरण निम्न प्रकार है:– मौजा– छत्तरपुर, खाता सं0–1, प्लॉट सं0– 504/3, रकबा– 0.20 एकड़ चौहद्दी उतर– सूरज सिंह, दक्षिण–- सरईडीह रोड, पूरब– सदीक मियाँ, पश्चिम– सफी मियाँ के लिए विवादी भूमि के ऊपर धारा 144 दं0 प्र0 सं0 की प्रक्रिया कायम कर उभय पक्षों को विवादी भूमि पर जाने से रोक लगाते हुए कारण पृच्छा कि मांग की गई। उभय पक्ष न्यायालय में उपस्थि हुए एवं कारण

1

आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	पृच्छा दाखिल किये। प्रथम पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता ने बहस करते हुए बताय कि मौजा— छत्तरपुर, खाता सं0— 1, प्लॉट सं0— 504/3, रकबा— 0.20 एकड़ भूमि प्रथम पक्ष को वजरीय केवाला सं0— 10332, दिनांक 25.09.2010 खादीम रसूल एवं गुलाम रसूल से खरीद किये हैं। उक्त भूमि का दाखिल— खारिज वाद सं0— 390/2015—16 से नामांतरण होकर प्रथम पक्ष के पक्ष में लगान रसीद निर्गत होते चला आ रहा है तथा खरिदगी के पश्चात से उक्त भूमि पर प्रथम पक्ष का दखल— कब्जा चला आ रहा है। विकेता को उक्त भूमि वजरीय केवाला सं0— 6669 दिनांक 20.07.1997 से अपने दादा आशिक हुसैन से प्राप्त है जिसका दाखिल— खारिज वाद सं0— 241/2000—01 से नामांतरण होकर विकेता को लगान रसीद प्राप्त हुआ। उक्त भूमि सुजान मियाँ के नाम से था। सुजान मियाँ को प्लॉट सं0— 504/3 में कुल 4.58 एकड़ भूमि था। सुजान मियाँ के दो पत्नी थे। पहली पत्नी से एक पुत्र हनीफ मियाँ एवं दुसरी पत्नी से एक पुत्र आशिक हुसैन एवं दो पुत्री 1. हलीमा बीबी 2. सलीमा बीबी हुए। आशिक हुसैन के दो पुत्र 1. खादीम रसूल 2. गुलाम रसूल हुए। इसप्रकार 4.58 एकड़ भूमि में हनीफ मियाँ को 1.33 एकड़ एवं आशिक हुसैन को 1.33 एकड़ तथा दो पुत्रियों को कमशः 0.66 1/2 एकड़ हिस्सा हुआ। हनीफ मियाँ ने अपने हिस्से से अधिक भूमि अर्जून सिंह को केवाला से पहले ही कर दिये थे। हनीफ मियाँ	

आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की कार्रवाई के बा टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	के द्वारा– 1.63 3/4 एकड़ भूमि विभिन्न व्यक्तियों को गलत तरिके से विक्री कर दिये जाने के कारण विवाद उत्पन हो गया। ज्ञात हो कि उक्त 0.02 एकड़ भूमि पर कभी भी अर्जून सिंह का दखल– कब्जा नहीं हुआ और न ही उसमें उनके द्वारा दीवार दिया गया है। जब अर्जून सिंह का दखल– कब्जा नहीं हुआ तो उसने द्वितीय पक्ष के पत्नी के नाम से भूमि बिक्री कर दिये। जिसे द्वितीय पक्ष के द्वारा जबरन उसे घेरने का प्रयास किया जा रहा था जिसे रोकने पर यह विवाद उत्पन हुआ है। अतः द्वितीय पक्ष को वाद भूमि पर जाने से रोक लगाते हुए निर्गत नियम प्रथम पक्ष के पक्ष में रिक्त किया जाय। द्वितीय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता ने बहस करते हुए बताया कि प्रथम पक्ष के द्वारा द्वितीय पक्ष के विरूद्ध कराया गया यह प्रकिया निराधारा है तथा द्वितीय पक्ष के भूमि पर बाधा उत्पन करने का कोई अधिकार नहीं है। यह प्रक्रिया मौजा– छत्तरपुर के खाता सं0– 1, प्लॉट सं0– 504/3, रकबा– 0.20 एकड़ जिसकी चौहद्दी उतर– सूरज सिंह, दक्षिण– सरईडीह रोड, पूरब– सदीक मियाँ, पश्चिम– सफी मियाँ के भूमि पर प्रारंभ किया गया है, लेकिल द्वितीय पक्ष का दावा उक्त खाता प्लॉट के अंतर्गत मात्र 0.02 एकड़ भूमि पर है जो विवादित रकबा– 0.20 एकड़ के अंश भाग है। उक्त भूमि पर अर्जून सिंह पिता– रामबरण सिंह का निर्विवाद हक दखल– कब्जा था और अर्जून सिंह ने निबंधित विकय पत्र	

आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	संo— 416 दिनांक 20.03.2010 से खरिदगी के पश्चात चहारदिवारी का निर्माण किये। द्वितीय पक्ष के पत्नि सुशीला देवी ने निबंधित विकय पत्र संo— 9056 दिनांक 08.11.2014 के द्वारा अर्जून सिंह पिता— रामबरण सिंह उक्त खाता प्लॉट में कुल 0.02 एकड़ भूमि कय किये जिसकी चौहद्दी उतर— कमलेश प्रसाद, दक्षिण— सरईडीह रोड, पूरब— दुर्गा साव, पश्चिम— सफी अंसारी है। कय के पश्चात शांतिपूर्ण दखल— कब्जा में आये तथा उक्त भूमि का अंचल कार्यालय द्वारा सम्यक जाँच के उपरांत नामांतरण हुआ और सरकार को मालगुजारी देकर लगान रसीद प्राप्त कर रहे हैं। द्वितीय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता का यह भी कहना है कि प्रथम पक्ष द्वारा वाद भूमि पर कराया गया मुकदमा विधि संगत नहीं है क्योंकी विवादित रकाबा 0.20 एकड़ भूमि के चौहद्दी उतर तरफ से सूरज सिंह के बाद मिथलेश विश्वकर्मा, युगुल किशोर सिंह, हकमुल अंसारी, रवि सिंह, उमेश प्रसाद, कामेश्वर प्रसाद ये सभी व्यक्तियों का आवासीय माकान है इसके बाद सुशीला देवी का भूमि अवस्थित है जो चहादिवारी के अंदर है। अर्जून सिंह विवादित भूमि को दिनांक 20.03.2010 को खरिद कर चहारदिवारी का निर्माण किये थे जबकी प्रथम पक्ष अर्जून सिंह के बाद दिनांक 25.09.2010 को निराधार विकय पत्र कराये हैं। प्रथम पक्ष द्वितीय पक्ष के शांतिपूण दखल— कब्जे में बाधा डाल रहे हैं। अतः निर्गत नियम द्वितीय पक्ष के पक्ष में रिक्त किया जाय तथा प्रथम पक्ष के विरूद्ध निरपेक्ष किया जाय। वाद के कम में मेरे द्वारा वाद भूमि का स्थल जाँच	

...श की कम ...ख्या और ...तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	किया गया। जाँच के समय वाद भूमि पर पूर्व से निर्मित चहारदिवारी पाया गया जिसमें दरवाजा लगा हुआ है। उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता के बहस को सुना। अभिलेख में संलग्न उभय पक्षों के कारण पृच्छा एवं राजस्व दस्तावेजों का अवलोकन किया। अवलोन से प्रतित होता है कि द्वितीय पक्ष का दावा ठोस दस्तावेजों पर आधारित है। अतः प्रक्रिया अंतर्गत निर्गत नियम द्वितीय पक्ष के पक्ष में रिक्त तथा प्रथम पक्ष के विरूद्ध निरपेक्ष किया जाता है, साथ ही इस वाद कि कार्रवाई समाप्त की जाती है। **लेखापित एवं संशोधित** 20.11.18 20.11.18 **अनुमण्डल दण्डाधिकारी,** छत्तरपुर (पलामू)। **अनुमण्डल दण्डाधिकारी,** छत्तरपुर (पलामू)।	

Digitally signed by ASHISH GANGWAR
Date: 2025.01.29 14:02:41 +0530
Location: 192.168.1.13